

6/6/23

वादी के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली-
दफ्तर ने गलत की गई। वादी ने जरिये
आधिकार प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन
किया कि हम परकारों के मध्य
लोक अदालत की भावना से समझौता
हो गया है इसलिए अपने वाद-पत्र
पर कोर्ट की कार्यवाही आगे नहीं
चलाना चाहता उक्त प्रार्थना-पत्र के
आधार पर वाद पत्र की कार्यवाही इसी
रूप पर खारिज की जावे।

हमने वादी एवं वादी के आधिकार
को सुना वादी ने स्वयं-मायालय में
उपस्थित होकर अपना वाद-पत्र खारिज
कराने का निवेदन किया है। वादी की
पहचान उनके आधिकार श्री R.S.
पोलर सुडकोउट द्वारा की गई। वादी
का वादपत्र इसी रूप पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली फौजदारी
होकर दारिज दफ्तर हो।

सि सुकोउ

Jelenh:keel

6/6/23

2/2/81

2/2/01

2/2/00

2/2/02

2/2/02